

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (शाहपुरा)
कल्याण पिता चन्द्रा मीणा निवासी-माल की झुपडिया, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा
बनाम

धन्ना पिता मन्शा मीणा निवासी-माल की झुपडिया, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा वगैरा
किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 322/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
13/5/24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिमाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की आ.सं. 231/15 रकबा 1.1331 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 1.1331 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिमाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जनाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 रा.ले. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि आ.सं. 231/15 रकबा 1.1331 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 1.1331 हैक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलून्ड को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500/-रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100/-रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/322/2024

दिनांक :- 13.05/2024

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र.सं. 322 /24 अनवान कल्याण पिता चन्द्रा मीणा निवासी-माल की झुपडिया, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा बनाम धन्ना पिता मन्शा मीणा निवासी-माल की झुपडिया, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, नारायण पिता मन्शा मीणा निवासी-माल की झुपडिया, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, भंवर लाल पिता लाखा मीणा निवासी-माल की झुपडिया, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, रामदयाल पिता लाखा मीणा निवासी-माल की झुपडिया, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, लाला पिता चन्द्रा मीणा निवासी-माल की झुपडिया, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, लाडा पत्नि सोहन लाल मीणा निवासी-बावडी, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुराकी पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बीरामाता, प.ह. बिलेठा तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 231/15 रकबा 1.1331 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 1.1331 हैक्टर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1500/-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगरगढी का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)